भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2765

17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

धान में नमी की मात्रा

2765. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

कु. सुधा आर.:

डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या उपभोक्ता मामले में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों से धान की खरीद के समय नमी की मात्रा से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से वर्तमान वर्ष तक नमी की मात्रा की प्रतिशतता के संबंध में नीतिगत निर्णय का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से धान की खरीद के दौरान धान में नमी की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी मौसम में अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों के मद्देनजर धान की खरीद के नमी मानदंडों में कोई अस्थायी छूट जारी की है, उदाहरण के लिए मानक 4 प्रतिशत नमी से अधिक नमी वाले धान की खरीद की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो नमी की वास्तविक संशोधित सीमा (सीमाएं) क्या है, इसकी वैधता अवधि क्या है और यह छूट किन-किन राज्यों/जिलों में लागू है;

(ड.) सरकार द्वारा अनाज की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने, भंडारण/परिवहन सहायता प्रदान करने और प्रभावित किसानों द्वारा औने-पौने दाम पर बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का उन किसानों के लिए कोई मुआवजा, प्रोत्साहन या बाजार-सहायता पैकेज देने का विचार है जिनकी उपज अधिक नमी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में तीन टीमें बनाकर भेजी थी जिन्होंने वर्षा से प्रभावित जिलों का दौरा किया था और वर्षा प्रभावित जिलों का दौरा करके कटाई की गई फसलों का निरीक्षण किया और डीपीसी तथा खेतों से धान के नमूने एकत्र किए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) क्या केन्द्र सरकार ने नमी के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से मापने और क्षति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रत्येक केएमएस/आरएमएस के प्रारंभ होने से पहले केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद हेतु एक समान विनिर्देश जारी करता है, जिसमें धान के मामले में नमी की अधिकतम सीमा, अर्थात् 17%, भी शामिल होती है। ये मानदंड सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू होते हैं।

(ग): केएमएस 2025-26 के दौरान धान की नमी की मात्रा में किसी भी राज्य को कोई छूट नहीं दी गई है।

(घ): उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ड.): विभाग ने खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार की है और जारी की है, ताकि भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों का गुणवत्ता मानक सुनिश्चित हो सके। खरीदे गए खाद्यान्नों को वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए गोदामों/साइलो में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, किसानों द्वारा मजबूरी में अनाज बिक्री को रोकने के लिए, विभाग समान विनिर्देशों की विभिन्न सीमाओं में छूट का आकलन करता है और प्रदान करता है।

(च): वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) और (ज): तमिलनाडु राज्य सरकार से केएमएस 2025-26 के लिए धान के एकसमान विनिर्देशों में छूट के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मंत्रालय ने तमिलनाडु के प्रभावित जिलों में नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए 3 संयुक्त दल भेजे। संयुक्त दलों ने 12 प्रभावित जिलों का दौरा किया, जिनमें मदुरै, थेनी, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, तंजावुर, मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, कुड्डालोर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू शामिल हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 18.11.2025 के पत्र के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में क्षतिग्रस्त/रंगहीन/अंकुरित और घुनयुक्त अनाज में छूट प्रदान की गई।
